

फाइल किस गमा / उपरिक्त वासीगण व प्रतिवासीका
की पहचान पत्र की देखें गये / राजीनामा का
तस्वील किया गया / वासीगण एवं कामे आयेक
वासीगण एवं परिवर्गीण व कामे प्रति 0
हरनाम वास में कोई कार्यवाही नहीं चलते है /

वाडग्रन्त आराजी को लेकर लंघित
वास में अग्रपक्ष कारण द्वारा कोई कार्यवाही
नहीं चलेगी व आपस में राजीनामा ही जाने
से (यद्यपि इस न्यायलय के निर्णय व डिस्ट्रि
डिस्ट्रिक्ट 17/03/2005 को माननीय RAA कोटा
द्वारा अपील नं 59/2005 में डिस्ट्रिक्ट निर्णय
डिस्ट्रिक्ट 13/07/2007 से खारिज किया जा चुका
है अतः कानूनी रूप से वाडग्रन्त आराजी के
खातेडा की भी वासीगण है, अतः ही SDO
court के निर्णय DT 13/3/2005 की पालना में
द्वारा नामांतरण के RAA कोटा के निर्णय DT
13/7/2007 की पालना में TDR द्वारा खारिज
नहीं किया है, जो कि RAA कोटा के आदेश
की अवहेलना ही लगती है) "not-press"
के आधार पर dismiss किया जाता है /
पत्रावली फैललशुमार होकर नम्बर से कम
होकर ~~मूखवार के साथ~~ दाखील दफतर है /



[Signature]
02/01/25

उपखण्ड अधिकारी
पिनाक, जिला जयपुर (राज.)